



न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), एफ 0 टी0 सी0 (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), सहारनपुर।

श्रीमती तबस्सुम

बनाम

जावेद आदि।

वाद सं0-1208/2025

धारा-498 ए, 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860

व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

थाना-महिला थाना, जिला सहारनपुर।

15.04.2026

आज दिनांक-15.04.2026 को अभियुक्तगण **रियाज, श्रीमती इरफाना तथा प्रवेज** द्वारा वाद सं0-1208/2025 अंतर्गत धारा-498 ए, 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 थाना महिला थाना, जिला सहारनपुर के अपराध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण आज आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। कोर्ट मोहररि सूचित हो।

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रा0 पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त वाद में झूठे मुलजिम बनाये गये है। प्रार्थीगण का उपरोक्त घटना से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वाद की वादिया के साथ कोई मारपीट या दहेज इत्यादि की मांग नहीं की गयी है। प्रार्थीगण अपनी जमानत के लिए मोतवीर जामिनान पेश करने को तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण को परिवाद पत्र के आधार पर तलब किया गया है। प्रश्रगत मामला वैवाहिक सम्बन्धों में उत्पन्न दहेज प्रताड़ना आदि से सम्बन्धित है। दहेज प्रताड़ना आदि के मामलों में सुलह-समझौते की संभावना सदैव विद्यमान रहती है। प्रस्तुत मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा अधिकतम सात वर्ष के कारावास से दण्डनीय है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत के आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण **रियाज, श्रीमती इरफाना तथा प्रवेज** द्वारा मु0 25 हजार रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किये जाते हैं।

(ईशा कन्सल)

सिविल जज (जू0 डि0), एफ 0 टी0 सी0,

(महिलाओं के विरुद्ध अपराध),

सहारनपुर।

J.O Code-UP4621